संगठन

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन का विकास

प्रदेश के बहुमुखी विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीयकृत परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम 15 मई 1947 को लखनऊ–बाराबंकी मार्ग पर उ०प्र० राजकीय रोडवेज द्वारा बस संचालन प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीयकृत बस संचालन प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को कुशल एवं सस्ती परिवहन सेवा सुलभ कराना था।

राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को 1 जून, 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में गठित कर दिया गया।

निगम की स्थापना के उद्देश्य

निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी :–

1- सड़क परिवहन के विकास द्वारा जनता, व्यापार और उद्योग को पहुँचाये जाने वाले फायदों में वृद्धि;
2- सड़क परिवहन की किसी अन्य प्रकार के परिवहन से समन्वय की वांछनीयता;
3- किसी क्षेत्र में सड़क परिवहन सुविधाओं को विस्तृत करने और उसमें सुधार करने तथा वहाँ पर दक्ष एवं मितव्ययी सड़क परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने की वांछनीयता।

निगम के कर्तव्य

सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-18 में निगम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार निगम का कर्तव्य दक्ष, पर्याप्त, मितव्ययी और उचित तौर से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रणाली का प्रबन्ध एवं उसमें अभिवृद्धि करना है।

निगम और निदेशक मण्डल का गठन

सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-5 सपठित उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम नियमावली, 1972 के नियम 3 व 4 के अन्तर्गत गठित है। दिनांक 30.10.2003 को उ०प्र० व उत्तरांचल राज्य के पुनर्गठन अनुसार निगम का पुनर्गठन कर दिया गया तथा उत्तरांचल में आने वाले निगम के पूर्ववर्ती 3 क्षेत्रों को हस्तान्तरित कर दिया गया।

उद्देश्यः– निगम के कार्यकलाप और कार्य प्रणाली का साधारण अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्धन।

निदेशकों की संख्या व नियुक्तिः–

निदेशक मण्डल में अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 5 व अधिक से अधिक 17 निदेशकों की नियुक्ति का प्राविधान है। 1/3 केन्द्र सरकार व 2/3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि का प्राविधान हैं। निदेशकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित की जाती है।

निगम का निदेशक मण्डल

1.	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	निदेशक
3.	संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली	निदेशक
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	निदेशक
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	निदेशक
6.	प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश शासन	निदेशक
7.	निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	निदेशक
8.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ	निदेशक
9.	अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	निदेशक

निगम की संगठनात्मक संरचना

1- परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

2- क्षेत्र व डिपो।

क्र०सं०	क्षेत्र	डिपोज की संख्या
1-	आगरा	6
2-	गाजियाबाद	8
3-	मेरठ	5
4-	सहारनपुर	6
5-	अलीगढ़	7
6-	मरादाबाद	7
7-	बरेली	4
8-	हरदोई	6
9-	इटावा	6
10-	कानपुर	6
11-	झांसी	2
12-	लखनऊ	7
13-	फैजाबाद	4
14-	देवीपाटन	3
15-	चित्रकूट	4
16-	इलाहाबाद	8
17-	आजमगढ़	7
18-	गोरखपुर	7
19-	वाराणसी	8
20-	नोएडा	2
20 क्षेत्र		**113 डिपो**

3– कार सेक्शन, लखनऊ।

4– केन्द्रीय कार्यशाला, रावतपुर एवं डा० राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर।

5– प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।

6– टायर रिट्रीडिंग संयंत्रः– आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ तथा इटावा।

निगम का संगठनात्मक ढांचा

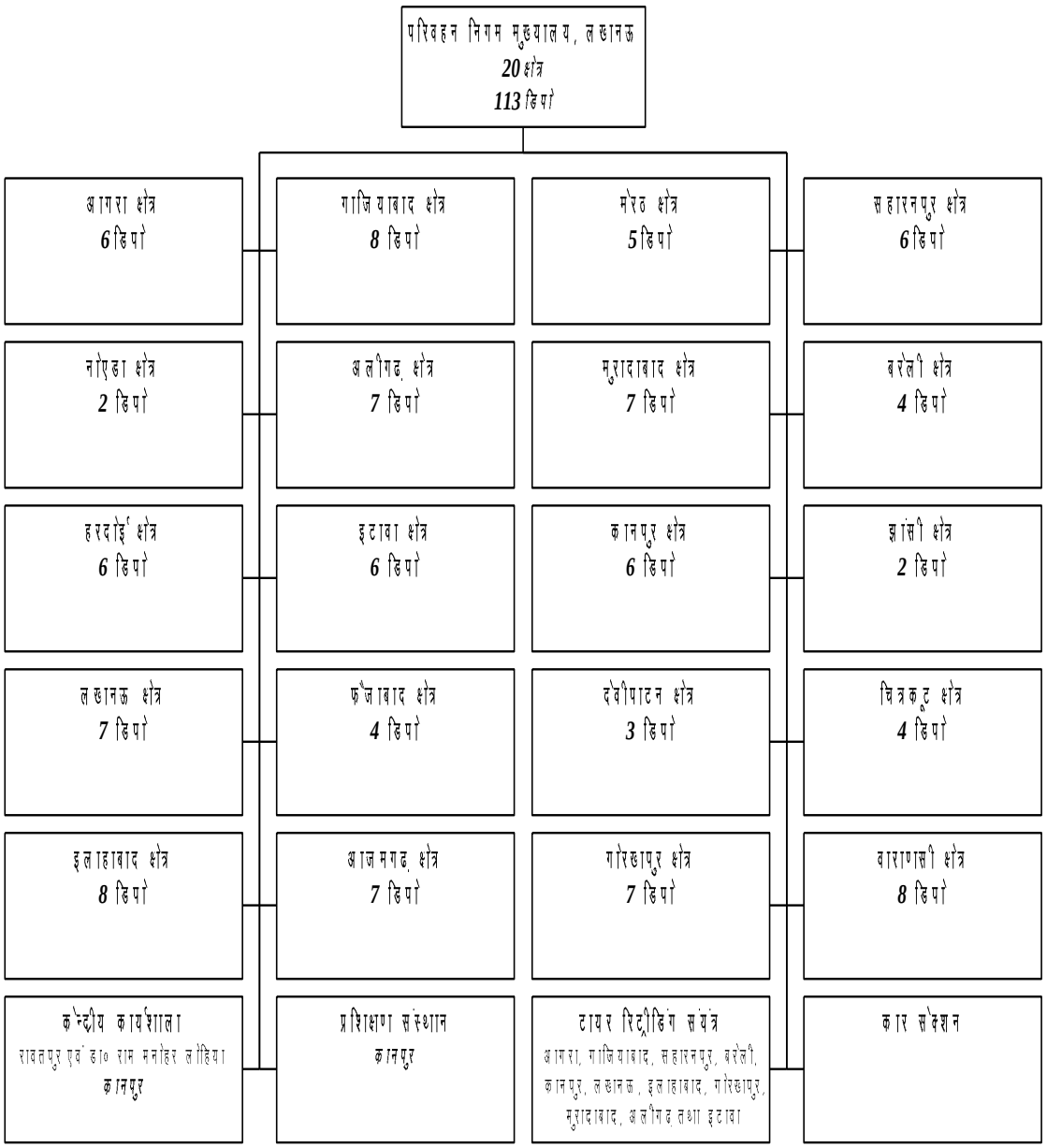

परिवहन निगम मुख्यालय की संरचना